कृषि किरण अंक-6, दिसंबर 2018: पृष्ठ: 60-62
http://saaer.org.in

भारत में 18 विषाक्त कीटनाशकों पर लगा प्रतिबंध

राकेश कुमार मीना
कीट विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर

कीटनाशक क्या होते हैं?

- ✓ कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जिनका इस्तेमाल कीड़े-मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने अथवा उनसे बचाने के लिये किया जाता है।
- ✓ जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उर्वरक पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं, जबकि कीटनाशक पौधों की कीटों से रक्षा के उपाय के रूप में कार्य करते हैं।

केंद्र ने 18 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हैं जिससे वे मनुष्यों और जानवरों का कारण बन सकते हैं । 18 कीटनाशकों में से, 12 कीटनाशकों का उपयोग, पंजीकरण, निर्माण, आयात, बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हैं, जबकि छह कीटनाशक दिसंबर 2020 तक चरणबद्ध हो जाएंगे। एक, हर्बाइडिस ट्राइफुलरिन को भी गेहूं में उपयोग के अलावा तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्मा समिति ने ट्राइफुलरिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन उनमें मोनोक्रोटोफॉस और मोंकोज़ब शामिल नहीं हैं और न ही उनमें डीडीटी शामिल है, डीडीटी आमतौर पर नागरिक प्रशासन द्वारा मच्छर प्रतिरोधी के रूप में छिड़काव किया जाता है और खेती में उपयोग किया जाता है, भले ही कृषि वैज्ञानिक अनुपम वर्मा के तहत जहरीले कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए स्थापित समिति ने इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। 2013 में, पिछली कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार ने भारत में कृषि उपयोग के लिए पंजीकृत नियो-निकोटीनोइड कीटनाशकों के उपयोग की समीक्षा करने के लिए वर्मा समिति की स्थापना की। समिति की कक्षा को बाद में विदेशों में प्रतिबंधित 66 कीटनाशकों का अध्ययन करने के लिए विस्तारित किया गया था वर्मा समिति ने दिसंबर 2015 में केंद्र में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 66 कीटनाशकों में से 18 पर चरणबद्ध प्रतिबंध की सिफारिश की गई। इसने 27 और कीटनाशकों की समीक्षा करने की भी सिफारिश की, लेकिन उनके निर्माताओं द्वारा विषाक्तता पर ताजा आंकड़ों के साथ। इन कीटनाशकों में मोंकोजेब और मोनोक्रोटोफॉस शामिल हैं, जो राज्य सरकारों ने भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। दिसंबर 2016 में, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त करने के एक पूर्ण वर्ष में, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जनवरी 2018 से प्रतिबंधित

कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की और जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं और कीटनाशक निर्माताओं से भी । अधिसूचना में गेहूं में ट्राइफुलरिन और डीडीटी के उपयोग को जारी रखने के बारे में अस्वीकरण शामिल नहीं था। 2013 में, 23 बच्चों की मृत्यु हो गई जब उनके मध्य-भोजन को उसी बर्तन में पकाया जाता था जो मोनोक्रोटोफोस को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता था। 2017 में, कीटनाशकों के आकस्मिक श्वास में लेने के कारण यवतमाल (महाराष्ट्र) में 40 लोगों की मौत हो गई। इसलिए आखिरकार भारत ने 18 विषाक्त कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत में जहरीले कीटनाशकों की स्थिति:

- विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा कीटनाशकों की संख्या: 66
- कीटनाशकों की संख्या जिन्हें अब तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है: 12 (बेनोमाइल, कार्बारील, डायजेनॉन, फेनेरिमोल, फेथियन, लिनूरॉन, मेहतोमाइथिल मर्क्यूरीक्लोराइड, मेथिलपेराथियन, सोडियम साइनाइड, थियोमेटोन, ट्रिडेमोर्फ और ट्राइफ्लुरिन)
- कीटनाशकों की संख्या जिन्हें 31 दिसंबर2020 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा: 6 (अलाच्लोर, डिक्लोरवोस, फोराट, फॉस्फामिडॉन, ट्राइज़ोफोस और ट्राइकलोर्फन)
- कीटनाशकों की संख्या जिनका उपयोग जारी रखा जाना है: 18
- कीटनाशकों की संख्या जिनके उपयोग की बाद में समीक्षा की जाएगी: 27
- कीटनाशकों की संख्या जिनका उपयोग पहले हे प्रतिबंधित था: 2
- कीटनाशकों की संख्या जिनके उपयोग की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वह उप-न्याय है: 1 (एंडोसल्फन)

कीटनाशक	**- किसके लिए खतरनाक**
वेनोमाइल	- गर्भवती महिलाओं, मछली व जलीय जन्तु।
कार्बराइल	- मधुमक्खी व जलीय जन्तु
डायजिनोन	- जलीय जन्तु व मित्र कीट
फेनारिमोल	- जलीय जन्तु
फेंथिओन	- जलीय जन्तु, कृषि व मित्र कीट
लिनुरोन	- जलीय जन्तु

मेथोक्सी ईथाइल	- चिड़ियों,मछली व जलीय जन्तु
मिथाइल पेराथिओन	- जलीय जन्तु
सोडियम साइनाइड	- चिड़ियों,मछली, मधुमक्खी व जलीय जन्तु
थियोमेटोन	- मधुमक्खी
ट्राइडेमोर्फ	- जलीय जन्तु
ट्राइफ्लूरेलिन	- मछली व जलीय जन्तु
अलाक्लोर	- जलीय जन्तु व मछिलयों
डाइक्लोरोवस	- मधुमक्खी व जलीय जन्तु
फोरेट	- चिड़ियों,मछली, मधुमक्खी व जलीय जन्तु
फोस्फोमिडोन	- मधुमक्खी व चिड़ियों
ट्रायाज़ोफोज़	- चिड़ियों,मछली, मधुमक्खी व जलीय जन्तु
ट्राईक्लोरोफोर्न	- चिड़ियों व जलीय जन्तु

निष्कर्ष: जैसा कि हम सभी जानते है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल से भले ही कुछ समय के लिये कृषि उपज को बढ़ावा मलता है, लेकिन दीर्घावधि के संदर्भ में इसके इस्तेमाल बहुत अधिक खतरनाक होते है। ऐसे में सरकार को इस संबंध में एक प्रभावी नियामक बनाने पर बल देना चाहिये ताकि किसानों की आय को हानि पहुँचाए बिना उसने स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी आजीविका को नुकसान पहुँचने से बचाया जा सके।